राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website :www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 14346-430 दिनांक : 20.06.2023

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
जयपुर ग्रेटर, जयपुर हैरिटेज, जोधपुर उत्तर, अजमेर, उदयपुर, केकड़ी, किशनगढ़, नसीराबाद, विजयनगर, आसिंद, हमीरगढ़, जहाजपुर, मांडलगढ़, शाहपुरा, डेगाना, डीडवाना, जायल, कुचामनसिटी, कुचेरा, मेडतासिटी, मालपुरा, निवाई, टोडारायसिंह, टोंक, उनियारा, भुसावर, कुमेर, रूपवास, वैर, गंगापुरसिटी, सवाई माधोपुर, बिदासर, चुरू, राजलदेसर, रतनगढ़, सरदारशहर, सुजानगढ़, तारानगर, भादरा, अनुपगढ, गजसिंहपुर, केसरीसिंहपुरा, लालगढ जाटन, पदमपुर, सादुलशहर, श्री गंगानगर, श्री करणपुर, श्री विजयनगर, लक्ष्मणगढ़ अलवर, नीमराणा, मडावर, बस्सी, चौमू, किशनगढ़ रेनवाल, कोटपुतली, नरेणा, पावटा प्रागपुरा, सांभर, बिसाऊ, झुंझुनू, उदयपुरवाटी, रामगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, भीनमाल, रानीवाड़ा, फलौदी, पिपाड़सिटी, रानीखुर्द, तख्तगढ़, आबूरोड़, माउंटआबू, अटरू, बारां, केशोरायपाटन, भवानीमण्डी, झालावाड़, झालरापाटन, कुशलगढ़, बेगूं, रावतभाटा, डूंगरपुर, सागवाड़ा, आमेट, नाथद्वारा।

विषयः–इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर अनुमोदित कराये जाने बाबत्।

प्रसंगः–विभागीय समसंख्यक पत्रांक एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U) / 2023–24 / 10823–11069 दिनांक 25.04.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा (प्रति सलंग्न) इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत नगरीय निकाय स्तर पर वार्षिक कार्य योजना 2023–24 परिशिष्ट–1 एवं 2 अनुरूप तैयार किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। वार्षिक कार्य–योजना की समीक्षा के सम्बंध में अधिशाषी अभियंताओं के साथ दिनांक 29.05.2023 से 15.06.2023 तक आयोजित बैठक के दौरान समस्त नगरीय निकायों को वार्षिक कार्ययोजना दिनांक 20.06.2023 तक भिजवाये जाने बाबत् निर्देशित किया गया था, परन्तु आदिनांक तक आपके निकाय की कार्य–योजना तैयार नही की गई है।

कृपया आपके निकाय की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023–24 तैयार कर, जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक से अनुमोदन करवाकर अविलम्ब अनुमोदित कार्यों का कार्य–वार श्रम, सामग्री आदि वांछित विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करते हुये, अनुमोदित कार्य योजना की प्रति (Soft Copy) जरिये ई–मेल (IRGYURBAN.LSG@RAJASTHAN.GOV.IN) द्वारा आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

–sd–
(भूपेन्द्र माथुर)
परियोजना निदेशक (IRGY)

क्रमांकःएफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 14431-476 दिनांकः 20.06.2023

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. परियोजना निदेशक, IRGY स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, IRGY समस्त राजस्थान।
5. उपनिदेशक निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. अधिशाषी अभियंता, समस्त नगर निगम / परिषद / पालिका को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

20/6/2023
अति0 परियोजना निदेशक (IRGY)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website :www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 10823 - 11069 दिनांक : 25.04.2023

1. **उप निदेशक (क्षेत्रीय),**
   स्थानीय निकाय विभाग,
   (समस्त) राजस्थान।
2. **आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,**
   नगर निगम / परिषद / पालिकायें (समस्त),
   राजस्थान।

विषयः– इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023–24 तैयार किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 हेतु निकायवार वार्षिक कार्य योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। वार्षिक कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओ का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावेः–

1. वार्षिक कार्य योजना परिशिष्ट –1 पर संलग्न प्रारूप में तैयार की जावेगी।
2. मांग के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराया जा सके इसके लिये निकायो के वार्डो में आवश्यकता अनुरूप कार्यो को सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मलित किया जावे।
3. योजनान्तर्गत अनुमत कार्यो, जो कि तकनीकी रूप से कराये जाने संभव है तथा उपयोगी एवं उपादेयी हों, को ही प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना में सम्मिलित किया जावे।
4. तालाब, पार्क, श्मशान, कब्रिस्तान, खेल मैदान, स्टेडियम आदि के कार्यो हेतु कम्पोजिट प्लान तैयार किया जावे। कार्य के टुकडे कर अलग–अलग नाम से ना तो कार्य योजना में जोडा जावे तथा ना ही स्वीकृति के लिये प्रस्तावित किया जावे।
5. कार्यो की अलग पहचान हो व दोहरापन ना हो, इसके लिए एक कार्य को एक ही यूनिक कोड से एक ही बार स्वीकृत करने का प्रावधान रखा जावे।
6. विस्तृत तकमीने अनुसार अपेक्षित वित्तीय प्रावधानो का गहनता से निर्धारण किया जावे।
7. कार्यकारी विभाग यथा वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागो के द्वारा प्रस्तावित कार्यो को कार्य योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जावे।

वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु अनुमानित वित्तीय प्रावधानः–

वित्तीय प्रावधान के अंतर्गत श्रम मद, सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद की गणना की जावेगी।

(अ) श्रम मद– रोजगार पर नियोजित होने वाले सम्भावित परिवारो की संख्या X प्रति परिवार औसत कार्य दिवस X प्रति श्रमिक औसत मजदुरी राशि (259 रूपये प्रतिदिन)।

(ब) सामग्री मद– कुल व्यय का अधिकत्तम 40 प्रतिशत (श्रम मद का अधिकतम दो तिहाई)।

(स) प्रशासनिक मद– योजनान्तर्गत होने वाले श्रम एवं सामग्री मद के कुल व्यय का 6 प्रतिशत।

(द) कुल प्रावधान– श्रम मद + सामग्री मद + प्रशासनिक मद

नगरीय निकाय स्तर पर कार्य योजना परिशिष्ट–1 एवं 2 के अनुरूप तैयार किया जाना है। **वित्तीय वर्ष में आवंटित सीमा राशि का अधिकतम 1.5 गुना (Time) तक के कार्य योजना में शामिल किये जावे।**

वार्षिक कार्य योजना दिनांक 30.04.2023 तक तैयार की जाकर प्रपत्र 1 में प्रपत्र 2 अनुरूप सूचना संकलित की जाकर इस विभाग को ई–मेल (**irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in**) पर आवश्यक रूप से भिजवावे।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

LETTER 1ST/Letter 2nd/233

क्रमांक:एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY/2023–24 / 11070 - 11106   दिनांक: 25.04.2023

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. जिला कलेक्टर (समस्त), राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार / परियोजना निदेशक (IRGY), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें (समस्त), राजस्थान।
7. स्टेट एम. आई. एस मैनेजर (IRGY), को पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत्।
8. सुरक्षित पत्रावली।

25/4/23

परियोजना निदेशक (IRGY)

LETTER 1ST/Letter 2nd/234

"इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना" की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023–24

निकाय .... जिला ....

1. श्रम बजटः–
   - कुल जॉब कार्डो की संख्या (आदिनांक तक) ....
   - रोजगार की मांग करने वाले परिवारो की संख्या (वर्ष 2022–23 के आधार पर) ....
   - अनुमानित मानव दिवसों का सृजन (क्रम संख्या 2– में वार्षिक कार्य योजना का सांराश में कॉलम संख्या 9 के अनुसार) ....
   - अनुमानित व्यय (क्रम संख्या 2– में वार्षिक कार्य योजना का सांराश में कॉलम संख्या 6 के अनुसार) ....
   - अनुमानित 91 से 100 दिवस रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या (वर्ष 2022–23 के आधार पर) ....
   - अनुसूचित जाति / जनजाति / बीपीएल लाभान्वित परिवारो की संख्या (वर्ष 2022–23 के आधार पर) ....
   - श्रम सामग्री का अनुपात ....

2. वार्षिक कार्य योजना का सांराश–

क्र. सं.	कार्य योजना संबंधी विवरण	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रम व सामग्री का अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या
			श्रम	सामग्री	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वर्ष 2022–23 में (A) स्वीकृत कार्यो में से गत वर्ष के अपूर्ण (B) प्रगतिरत कार्य अपूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यो की शेष राशि के लिये अलग से वित्तीय स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता नही है (ऐसे कार्यो को पूर्ण कराने के लिये आवयक राशि को ही इस वर्ष का वित्तीय भाग माना जाये)।							
योगः–1 (वर्ष 2022–23 के अपूर्ण एवं प्रगतिरत कार्य)								
2	वर्ष 2023–24 हेतु प्रस्तावित नवीन कार्यो का विवरण (A) मुख्य सचिव महोदया के दिशा निर्देशानुसार Tangiable Works यथा पार्क, श्मशान, कब्रिस्तान, बावड़ी, तालाब, खेल मैदान एवं स्टेडियम, इंटरलॉकिंग आदि जिनकी प्रशासनिक एवं स्वीकृति माह अप्रैल 2023 में जारी की जाकर माह जून 2023 तक पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। (B) मुख्य सचिव महोदया के निर्देशानुसार आगामी मानसून वर्ष 2023–24 में वृक्षारोपण से संबंधित निकायो एवं अन्य लाईन डिपार्टमेन्टस यथा वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग को विभागीय पत्रांक .... दिनांक ....के द्वारा आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप कराये जाने वाले वृक्षारोपण							

	संबंधी कार्यो की संख्या एवं राशि को सम्मिलित किया जाना है। (C) प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थीयो को 125 दिवस की राशि का भुगतान। (D) अन्य प्रस्तावित कार्य।							
योग:–2 (वर्ष 2023–24 में प्रस्तावित कार्य योजना)								
महायोग (योग 1+योग 2)								

परिशिष्ट–2

"इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना" की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023–24

निकाय .... जिला ....

1. वर्ष 2022–23 के प्रस्तावित प्रगतिरत/अपूर्ण कार्य जिनको वित्तीय वर्ष 2023–24 की कार्य योजना में सम्मलित किया जाना है:–

क्र. सं.	कार्य योजना संबंधी विवरण	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रम व सामग्री का अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या
			श्रम	सामग्री	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
योग								

2. वर्ष 2023–24 हेतु नवीन प्रस्तावित कार्यो का विवरण जिनको वित्तीय वर्ष 2023–24 की कार्य योजना में सम्मलित किया जाना है:–

(A) मुख्य सचिव महोदया के दिशा निर्देशानुसार Tangiable Works यथा पार्क, श्मशान, कब्रिस्तान, बावड़ी, तालाब, खेल मैदान एवं स्टेडियम, इंटरलॉकिंग आदि जिनकी प्रशासनिक एवं स्वीकृति माह अप्रैल 2023 में जारी की जाकर माह जून 2023 तक पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

क्र. सं.	कार्य योजना संबंधी विवरण	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रम व सामग्री का अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या
			श्रम	सामग्री	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
योग								

(B) मुख्य सचिव महोदया के निर्देशानुसार आगामी मानसून वर्ष 2023–24 में वृक्षारोपण से संबंधित निकायो एवं अन्य लाईन डिपार्टमेन्टस यथा वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग को विभागीय पत्रांक 3683–3715 दिनांक 05.03.2023 के द्वारा आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप कराये जाने वाले वृक्षारोपण संबंधी कार्यो की संख्या एवं राशि को सम्मिलित किया जाना है।

क्र. सं.	कार्य योजना संबंधी विवरण	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रम व सामग्री का अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या
			श्रम	सामग्री	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
योग								

(C) प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थीयो के कार्य हेतु 125 दिवस की राशि दिये जाने का विवरण–

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	वर्ग अजा/जजा/बीपीएल	आवास स्वीकृति का क्रमांक दिनांक	IRGY के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु दी जाने वाली 125 दिवस के अतिरिक्त राशि
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
योग				

(D) अन्य प्रस्तावित कार्य।

क्र. सं.	कार्य योजना संबंधी विवरण	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रम व सामग्री का अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या
			श्रम	सामग्री	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
योग								